बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

-:: **अधिसूचना** ::-

संचिका-सं०-स०क०निग०-12/2023 (खण्ड)-1884/श्रीमती बन्दना पाण्डेय, तत्कालीन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मुंगेर के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, मुंगेर के पत्रांक-1276/स्था० दिनांक-16.12.2022 के माध्यम से दो पत्रों यथा- पत्रांक-1250/स्था० दिनांक-10.12.2022 एवं पत्रांक-1270/स्था० दिनांक-15.12.2022 द्वारा दो अलग-अलग आरोप पत्र गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया। जिला पदाधिकारी से प्राप्त आरोप पत्रों में प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में विभागीय पत्रांक-618 दिनांक-03.02.2023 द्वारा श्रीमती पाण्डेय से प्रतिक्रिया की मॉग किये जाने पर उनके पत्रांक-178/जि०प्रो० दिनांक-02.03.2023 द्वारा अपनी प्रतिक्रिया विभाग को उपलब्ध करायी गई। आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिक्रिया की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गई। समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा आरोप की गंभीरता को देखते हुए श्रीमती पाण्डेय को निलंबित करने तथा तथा विभाग द्वारा आरोप पत्र गठित कर लिखित अभिकथन की मॉग किये जाने का निर्णय लिया गया।

निर्णित आदेश के आलोक मे विभागीय अधिसूचना संख्या-2345 दिनांक-08.05.2023 द्वारा श्रीमती पाण्डेय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। कलान्तर में विभागीय अधिसूचना संख्या-5665 दिनांक-06.11.2023 द्वारा इन्हें निलंबनमुक्त किया गया।

साथ हीं विहित प्रपत्र में आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक-2470 दिनांक-12.05.2023 द्वारा उनसे लिखित अभिकथन की मॉग किये जाने पर उनके पत्रांक-कैम्प-शून्य दिनांक-26.05.2023 द्वारा लिखित अभिकथन उपलब्ध करायी गयी। श्रीमती पाण्डेय से प्राप्त लिखित अभिकथन के समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया।

उक्त के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या-4954 दिनांक-27.11.2023 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-16 एवं 17(2)(5)(क) एवं (ग) के अन्तर्गत श्रीमती पाण्डेय के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चलायी गई। संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी श्री वीरेन्द्र कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा प्रशाखा पदाधिकारी-2, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को उपस्थापन / प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर अपने पत्रांक-5454 दिनांक-28.10.2024 द्वारा जॉच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया। जिसमे आरोप संख्या-01, 02, 03, 05, 09, एवं 11 को आंशिक रूप से प्रमाणित तथा आरोप संख्या-04, 06, 07, 08, 10, 12, 13, 14, 15 एवं 16 को अप्रमाणित पाया गया।

आंशिक प्रमाणित आरोपों के आलोक में विभागीय पत्रांक-4960 दिनांक-24.06.2025 एवं पत्रांक-5923 दिनांक-07.08.2025 द्वारा लिखित अभ्यावेदन की मॉग किये जाने पर इनके पत्रांक-764 दिनांक-19.08.2025, पत्रांक-874 दिनांक-23.09.2025, पत्रांक-877 दिनांक-23.09.2025 द्वारा अपना लिखित अभिकथन विभाग को उपलब्ध कराया गया।

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा उक्त लिखित अभ्यावेदन की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत यह पाया गया कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही एवं शिथिलता बरती गई एवं इनके द्वारा आवश्यक कार्यो में अनुश्रवण / पर्यवेक्षण में प्रशासनिक चूक हुई है। जिसके लिए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्रीमती वंदना पाण्डेय, तत्कालीन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मुंगेर सम्प्रति लखीसराय के विरूद्ध चेतावनी के साथ बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-14(v) के तहत दो वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित करने का निर्णय लिया गया।

अतः श्रीमती वंदना पाण्डेय, तत्कालीन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मुंगेर सम्प्रति लखीसराय के विरूद्ध चेतावनी के साथ बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-14(v) के तहत दो वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(योगेश कुमार सागर)
अपर सचिव
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक-स०क०निग०-12/2023 (खण्ड)- 1884 पटना-15 दिनांक :- 16.4.2026

प्रतिलिपि :- ई-गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 एवं हार्ड कॉपी के साथ बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

15/4/26

अपर सचिव
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक-स०क०निग०-12/2023 (खण्ड)- 1884 पटना-15 दिनांक :- 16.4.2026

ईमेल/
निबंधित

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना / वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना / प्रमण्डलीय मुंगेर / निदेशक, आई०सी०डी०एस० निदेशालय, बिहार, पटना / जिला पदाधिकारी, मुंगेर/लखीसराय/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मुंगेर/लखीसराय /माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव / सचिव, समाज कल्याण विभाग के प्रधान आप्त सचिव / अपर सचिव, समाज कल्याण विभाग / विशेष कार्य पदाधिकारी(स्थापना), समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना / संबंधित कोषागार पदाधिकारी / विभागीय आई0टी0 मैनेजर (अपलोड हेतु) एवं श्रीमती वंदना पाण्डेय, तत्कालीन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मुंगेर सम्प्रति लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/4/26

अपर सचिव
समाज कल्याण विभाग।